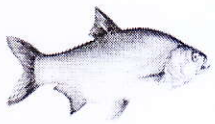

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील कृषक/मछली उत्पादन से जुड़े बंधु ध्यान दें।

राज्य के मत्स्य पालकों से नीली क्रांति योजनान्तर्गत कुल सात अवयवों में आवेदन पत्र दिसम्बर, 2016 में विभिन्न जिला मत्स्य कार्यालयों द्वारा प्राप्त किये गये है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए केन्द्रीय योजनागत योजना– **"नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन"** योजना की स्वीकृत राज्यादेश संख्या 647 दिनांक 03.03.2017 द्वारा प्रदान की गयी है ।इस योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत बैक इन्डेड अनुदान की अनुमान्यता है। प्रथम किश्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा ₹800.00 लाख की राशि विमुक्त की गयी है जिससे प्रथम चरण में निम्नलिखित अवयवों का ही कार्यान्वयन किया जा रहा है :–

1. **नये तालाब का निर्माण–**
   - प्रति हेक्टेयर 7.0 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 100 हेक्टेयर।
2. **आद्रभूमि का विकास –**
   - प्रति हेक्टेयर 5.0 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 115 हेक्टेयर।
3. **प्रथम वर्ष इन्पुट (नये तालाब एवं विकसित आद्रभूमि हेतु)–**
   - प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख की इकाई लागत ।
   - लक्ष्य– 215 हेक्टेयर।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते है।

जिन मत्स्य कृषक/मछुआ द्वारा उपर्युक्त वर्णित तीन अवयवों में आवेदन पत्र अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया है, वे राज्यादेश संख्या 647 दिनांक 03.03.2017 में वर्णित वांछित कागजातों को एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें। इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या 647 दिनांक 03.03.2017 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

3/3

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।